रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42 ] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1997/भाद्रपद 19, 1919
No. 42 ] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1997/BHADRA 19, 1919

28/1997

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1997

**फा. सं. पी. आर-14012/24/96-पी. जी./टी. ए. एम. पी.**— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, संलग्न अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा दर की मात्रा में संशोधन करता है ।

इस संबंध में किए जाने वाले विनियमनों को अंतिम रूप देने के बाद इस दर (इन दरों) की समीक्षा की जाएगी । तथापि, ऐसी समीक्षा, भावी तारीख से ही प्रभावी होगी ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## मामला सं. पी आर-14012/24/96-पी जी

मुम्बई पत्तन न्यास —आवेदक

## आदेश

(22 अगस्त, 1997 को पारित)

यह मामला गेटवे आफ इंडिया से कैटमैरैनों, हावरक्राफ्टों, स्पीडबोटों आदि के प्रचालन और उनके प्रकारों के लिए शुल्क (लाइसेंस) लगाने हेतु मुंबई पत्तन न्यास के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. मुंबई पत्तन न्यास ने कैटमैरैनों, हावरक्राफ्टों, स्पीडबोटों आदि के प्रचालन को नवम्बर, 1994 से शुरू करने की अनुमति दी थी । यह प्रस्ताव व्यस्त समय के दौरान 5 रु. प्रति यात्री और अन्य समय में 2.50 रु. प्रति यात्री शुल्क लगाने से संबंधित है जिसकी गणना क्राफ्ट की यात्री क्षमता के 60% पर की जाएगी । प्रस्तावित शुल्क निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हैं :—

(i) तीन महीने के प्रभार प्रतिभूति जमा राशि के रूप में वसूल किए जाएंगे ।

(ii) अधिकतम किराया, पत्तन के उप संरक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(iii) प्रचालनों में ज्वार-भाटा पर्यवेक्षणशाला की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा ।

(iv) प्रचालकों को किसी भी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए उपाय करने होंगे ।

3. प्राधिकरण, निर्विवाद तथ्य के लिए विवाद पैदा करने की स्थिति से प्रसन्न नहीं है । परन्तु 1994 से लम्बित इस मामले में इस मुद्दे पर लगातार जोर डालने से नाम मात्र का प्रयोजन सिद्ध होगा । इसलिए इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि पत्तन न्यास ने सेवाओं के लिए जनता के दबाव के कारण पूर्वानुमानित कार्यवाही की थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड ने भी प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, प्राधिकरण भी निर्धारित विभिन्न शर्तों के अध्यधीन इसे अनुमोदित करता है ।

4. पत्तन न्यास ने पूर्व प्रभाव से इन शुल्कों को लागू करने का अनुरोध किया है । प्राधिकरण को अपने आदेशों को पूर्व प्रभाव से लागू करने की शक्ति से संबंधित इस मुद्दे पर मांगी गई कानूनी सलाह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । इस कारण वर्तमान आदेश केवल भावी रूप से लागू होगा जब भी कानूनी सलाह प्राप्त हो जाएगी, इस मुद्दे पर यदि संभव हुआ तो पुन: विचार किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण ने पत्तन न्यास द्वारा दिए गए इस विशिष्ट स्पष्टीकरण को नोट किया है कि यह प्रस्ताव केवल "लाइसेंस शुल्क" के बारे में है और "यात्री शुल्क" के बारे में नहीं है । "यात्री शुल्क" को पत्तन न्यास प्राधिकारियों द्वारा उनके यात्री परिवहन विनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा। प्राधिकरण यह विनिश्चय करने के लिए इस मुद्दे की ब्यौरेवार जांच करना चाहेगा कि क्या "यात्री शुल्क" उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि ऐसा है तो इस मुद्दे पर बाद में किसी उपर्युक्त समय पर विचार करने के लिए कार्यवाही की जाएगी ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

## THE TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1997

**F. No. PR-14012/24/96-PG/TAMP.**— In exercise of the powers conferred by section 48 and section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amend the Scale of Rates as in the schedule appended hereto.

The rate(s) is(are) liable to be reviewed after finalisation of the Regulations to be made in this behalf. The effect of such a review will, however, be only prospectively operational.

S. SATHYAM, Chairman

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### Case No. PR-14012/24/96-PG

**The Mumbai Port Trust** **...Applicant**

### ORDER

**(Passed on this 22nd day of August, 97)**

This case relates to a proposal from the Mumbai Port Trust for levy of (license) fee for operation of catamarans, hovercrafts, speedboats, etc., from the Gateway of India and the modalities therefor.

2. The Mumbai Port Trust had permitted commencement of operation of catamarans, hovercrafts, speedboats, etc., with effect from November 1994. The proposal relates to a levy of Rs. 5/- per passenger during peak hours and Rs. 2.50 per passenger during other times, calculated at 60% of the passenger capacity of the craft. The levy proposed is subject to the following conditions :

(i) Three months' charges have to be recovered as Security Deposit.

(ii) The maximum fare has to be approved by the Deputy Conservator of the Port.

(iii) The operations have to comply with the requirements of the tidal observatory.

(iv) The operators have to take measures to prevent pollution of any kind.

3. The Authority is not happy with the situation of being confronted by *fait accompli*. But, very little purpose will be served by harping on this point in this case which has been pending since 1994. Taking note, therefore, of the fact that the Port Trust had taken anticipatory action because of public pressure for the services and, bearing in mind the fact that the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust had also endorsed the proposal, the Authority also approves it subject to the various conditions stipulated.

4. The Port Trust has requested for enforcement of these fees with retrospective effect. The legal advice sought on this issue about the power of the Authority to give retrospective operation to its orders has not yet become available. That being so, the order at present will only have prospective application. As and when the legal advice becomes available, this issue will, if possible, be reopened for reconsideration.

5. The authority has noted the specific clarification given to it by the Port Trust that the proposal relates only to 'license fee' and **not** 'passenger fee'. The latter will be regulated by the Port Trust authorities under their Passenger Transport Regulations. The Authority will like this issue to be examined in detail to determine whether 'passenger fee' will also fall in its jurisdiction. If it will, then, this issue will also be taken up for reconsideration at a suitable time subsequently.

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997